रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29022024-252491
CG-DL-E-29022024-252491

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 29, 2024/फाल्गुन 10, 1945
No. 134] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 29, 2024/PHALGUNA 10, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 145(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ञv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) जीवित प्राणी प्रजातियां (रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2024 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं--इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) “अधिनियम” से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राणी प्रजाति" से अधिनियम से संलग्न अनुसूची 4 में सूचीबद्ध किसी भी प्राणी प्रजाति के जीवित नमूने अभिप्रेत है ;

(ग) "परिशिष्ट" से अधिनियम से संलग्न अनुसूची 4 के अधीन परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2 या परिशिष्ट 3 अभिप्रेत है ;

(घ) "प्राधिकृत अधिकारी" से अधिनियम की धारा 49ड के अधीन प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ङ) "सुविधा" से कोई परिसर अभिप्रेत है, जहां प्राणी प्रजातियों को रखा जाता है ;

(च) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(छ) "अंतरण" से किसी व्यक्ति को किसी प्राणी प्रजाति का चाहे उपहार के माध्यम से, विक्रय के माध्यम से या अन्यथा अंतरण अभिप्रेत है ; और

(ज) "प्राणी चिकित्सक" से भारतीय प्राणी चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय प्राणी चिकित्सा परिषद के साथ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु इस अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके इस अधिनियम में है ।

3. कब्जे के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन--(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई प्राणी प्रजाति है, वह उसके ब्यौरों की रिपोर्ट देगा और रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रबंधन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी को इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से छह महीनों के भीतर और उसके पश्चात् ऐसी प्राणी प्रजातियों के कब्जे के तीस दिवस के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप 1 में आवेदन करेगा ।

(2) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ एक हजार रुपये की फीस संलग्न की जाएगी ।

(3) जहां प्राणी प्रजाति का अर्जन, वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के प्रारंभ से पूर्व किया गया था, आवेदन के साथ इस संबंध में एक घोषणा और ऐसे प्रारंभ से पूर्व अर्जन का सबूत, संलग्न किया जाएगा ।

(4) जहां प्राणी प्रजाति का अर्जन, वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किया गया था, वहां आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होगा--

(क) आयात के माध्यम से अर्जन की दशा में, अभिसमय के अधीन दी गई आयात अनुज्ञप्ति और सीआईटीईएस निर्यात परमिट या प्रमाणपत्र की प्रति ;

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति, जहां लागू हो ।

(5) उपनियम (1) के अनुसार प्राप्त आवेदन, यदि सभी प्रकार से पूर्ण पाए जाते हैं, तो प्रबंधन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उस क्षेत्र जिसमें सुविधा स्थित है पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले उप वन संरक्षक को पंद्रह दिवस की अवधि के भीतर भेज दिए जाएंगे ।

(6) उप वन संरक्षक, उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, सुविधा की जांच और भौतिक सत्यापन पर, प्रबंधन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी को सात दिवस की अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप 2 में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) उपनियम (2) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रबंधन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी, पंद्रह दिवस की अवधि के भीतर आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप 3 में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

4. जन्म की रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन--(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे किसी भी प्राणी प्रजाति के लिए नियम 3 के उपनियम (7) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह ऐसी प्राणी प्रजाति की संतान के जन्म की रिपोर्ट करेगा और ऐसे जन्म के सात दिवस की अवधि के भीतर प्रबंधन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप-I में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

(2) आवेदन पत्र के साथ एक हजार रुपये की फीस संलग्न की जाएगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदन, यदि सभी प्रकार से पूर्ण पाए जाते हैं, तो प्रबंधन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उस क्षेत्र जिसमें सुविधा स्थित है पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले उप वन संरक्षक को पंद्रह दिवस की अवधि के भीतर भेज दिए जाएंगे ।

(4) उप वन संरक्षक, उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, संतानों की जांच और भौतिक सत्यापन पर प्रबंधन

प्राधिकरण या प्राधिकृत को पंद्रह दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप 2 में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से।

(5) उपनियम (4) के अधीन प्रस्तुत रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रबंधन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी, सात दिवस की अवधि के भीतर आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप 3 में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

5. स्थानांतरण की रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन--(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे नियम 3 के उपनियम (7) या नियम 4 के उपनियम (5) के अधीन किसी प्राणी प्रजाति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है, ऐसी प्राणी प्रजातियों के स्थानांतरण की ऐसे स्थानांतरण के पंद्रह दिवस की अवधि के भीतर प्रबंधन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप-I में रिपोर्ट करेगा।

(2) नियम 3 के उपबंध, यथा संभव, इस नियम के अधीन प्राणी प्रजातियों के कब्जे के लिए आवेदन जमा करने और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने पर लागू होंगे।

6. प्राणी प्रजातियों की मृत्यु की रिपोर्ट करने का रीति--प्रत्येक व्यक्ति जिसे नियम 3 के उपनियम (7) या नियम 4 के उपनियम (5) के अधीन किसी प्राणी प्रजाति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह ऐसी प्राणी प्रजातियों की मृत्यु की रिपोर्ट प्राणी चिकित्सक द्वारा जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ प्ररूप-I में करेगा।

7. स्टॉक का रखरखाव--(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है,--

(क) अनुसूची 4 के परिशिष्ट 1 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राणी प्रजातियों के बंदी अवस्था में प्रजनन के मामले में अधिनियम की धारा 49ढ़ के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन करेगा ;

(ख) किसी प्राणी चिकित्सक द्वारा छह महीने में कम से कम एक बार ऐसी प्राणी प्रजातियों की स्वास्थ्य जांच कराएगा और उसके स्वास्थ्य का अभिलेख प्ररूप IV में अनुरक्षित करेगा ;

(ग) सुविधा की प्राणी प्रजातियों और उपखंड (ख) के अनुसार प्राणी के संबंध में अनुरक्षित अभिलेख निरीक्षण के लिए क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले वन अधिकारी द्वारा जब कभी अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा ;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि प्राणी प्रजातियां सुविधा से पलायन न कर जाए ;

(ङ) किन्हीं प्राणी प्रजातियों के किसी भी पलायन की सूचना अधिकारिता रखने वाले निकटतम वन कार्यालय को तुरंत और ऐसे पलायन के चौबीस घंटे से अनधिक के भीतर देगा ;

(च) ऐसे पलायन से होने वाली नुकसानी, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी होगा ; और

(छ) प्राणी प्रजातियों का देशी प्राणी प्रजातियों के साथ मिलन या प्रजनन अनुज्ञात नहीं करेगा ।

8. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का खारिज या रद्द किया जाना--(1) प्रबंधन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी, किसी भी आवेदन को सभी पहलूओं में पूर्ण नहीं पाए जाने पर अस्वीकार कर देगा ।

(2) प्रबंधन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी, यदि,--

(क) अभिसमय के उपबंधों या संकल्पों से संतुष्ट नहीं हैं ; या

(ख) अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उनके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है ; या

(ग) मिथ्या जानकारी दी गई है,

तो प्ररूप 2 में सिफारिशों पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात्, आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण को, यथास्थिति, खारिज या रद्द कर सकेगा ।

9. आदेश पर हस्ताक्षर और तारीख होना--प्रबंधन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी का प्रत्येक आदेश लिखित होगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित होगा ।

10. अपील--प्रबंधन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के खारिज किए जाने या नियम 8 के अधीन रद्द करने से व्यथित कोई व्यक्ति, अपील करने के कारणों को न्यायोचित ठहराते हुए साठ दिवस की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

11. अनुसूचित नमूनों से व्यौहार--कोई प्राणी प्रजाति, जिसके संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान या प्राप्त नहीं किया गया है, अधिनियम की धारा 49थ के अनुसार व्यौहार किया जाएगा ।

प्ररूप – 1

प्ररूप - 1 **रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन** **[नियम 3 का उपनियम (1), नियम 4, नियम 5 तथा नियम 6 देखें]**			
1.	स्वामी का नाम (आधार संख्या के साथ)		
2.	(क) स्वामी का पता		
	(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न मामले में सुविधा का पता		
3.	फ़ोन या मोबाइल संख्या		
4.	ईमेल आईडी		
5.	प्राणी प्रजाति के अधिग्रहण का उद्देश्य (जैसा लागू हो, उस पर (✓) निशान लगाएं)	पालतू	
		व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए प्रजनन	
		अनुसंधान	
		अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	

6.	रिपोर्ट करने का कारण [जहां लागू हो, (सही) का चिन्ह लगाएं]			कब्जा	
				जन्म	
				अंतरण	
				मृत्यु	
7.	प्राणी(ओं) के ब्यौरे				
	सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	संख्या	नर/मादा /अलिंगी	फोटो
8.	संदत्त फीस के ब्यौरे			संव्यवहार संख्या/डीडी सं.	
				संदत्त रकम	
9.	अर्जन की पद्धति			आयात	

IndiaCode

		समुद्र से प्रवेश	
		जन्म	
		उत्तराधिकार	
		क्रय	
		अन्य, विनिर्दिष्ट करें	
10.	अर्जन की तारीख		
11.	आयात द्वारा अर्जन के मामले में	डीजीएफटी आयात अनुज्ञप्ति सं.	
		सीआईटीईएस निर्यात अनुज्ञा पत्र या प्रमाण पत्र सं.	
12.	समुद्र से प्रवेश द्वारा अर्जन के मामले में प्रमाण पत्र सं.		
13.	जन्म के मामले में मूल प्राणी प्रजातियों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सं.		
14.	अंतरण द्वारा अर्जन के मामले में		
क.	अंतरणकर्ता को आबंटित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सं.		
ख.	अंतरणकर्ता का नाम और पता		
ग.	अंतरिती का नाम और पता		
15.	मृत्यु के मामले में	प्राणी प्रजातियों के लिए आबंटित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सं.	
		मृत्यु का कारण	
		कहां और कैसे निपटाया गया	
16.	टिप्पणियां		

IndiaCode

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:

(क) आवेदक के पते का सबूत

(ख) अर्जन का सबूत

(ग) आयात अनुज्ञप्ति और आयात के माध्यम से अर्जन के मामले में सीआईटीएस निर्यात अनुज्ञापत्र या प्रमाणपत्र की प्रति

(घ) समुद्र से प्रवेश के मामले में प्रमाण पत्र की प्रति

(ड.) मृत्यु के मामले में पशु चिकित्सक द्वारा जारी शव परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें ।

तारीख:

स्थान: आवेदक के नाम और हस्ताक्षर

प्ररूप –II

प्ररूप –II

वन उपसंरक्षक की रिपोर्ट

[नियम 3 का उपनियम (6) और नियम 4 का उपनियम (4) देखें]

1.	स्वामी का नाम					
2.	(क) स्वामी का पता					
	(ख) उपरोक्त (क) से भिन्नता के मामले में प्रसुविधा का पता					
3.	रिपोर्ट करने का प्रयोजन		कब्जा			
			जन्म			
			अंतरण			
			मृत्यु			
4.	प्रजातियों के ब्यौरे					
	सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	संख्या	नर/मादा/अलिंगी	कब्जा /जन्म/अंतरण की तारीख	फोटो
क.						
ख.						
ग.						
5.	निकटतम संगरोध सुविधा का स्थान					
6.	निकटतम पशु चिकित्सा देखभाल सुविधाओं का स्थान					
7.	**प्राणी के बच्चों** के लिए हाथ से पालन-पोषण के लिए नर्सरी की उपलब्धता			हां/नहीं		
8.	कार्यात्मक अग्नि सुरक्षा उपस्कर की उपलब्धता			हां/नहीं		
9.	सुविधा के 100 मीटर की परिधि में रेलवे लाइन, राजमार्ग, उद्योगों (छोटे पैमाने, मध्यम पैमाने, बड़े पैमाने) की उपस्थिति					
10.	सुविधा के 100 मीटर की परिधि के भीतर संरक्षित क्षेत्र/चिडियाघर/बचाव केंद्रों की उपस्थिति					
11.	सुविधा का निरीक्षण करने वाले वन अधिकारी का नाम और पदनाम					
12.	निरीक्षण की तारीख					
13.	कोई अन्य जानकारी					

IndiaCode

14.	प्रभागीय वन अधिकारी/जिला वन अधिकारी/वन्य जीव वार्डन की सिफारिश	

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:निरीक्षण करने वाले अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट

हस्ताक्षर और मुद्रा

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम

तारीख:

प्ररूप –III

प्ररूप –III

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

[नियम 3 का उपनियम (7) और नियम 4 का उपनियम (5) देखें]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या						
1.	स्वामी का नाम					
2.	(क)स्वामी का पता					
	(ख) उपरोक्त (क) से भिन्नता के मामले में सुविधा का पता					
3.	प्राणी (ओं) के ब्यौरे					
	सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	संख्या	नर/मादा /अलिंगी	धारण/जन्म/अंतरण की तारीख	फोटो
क.						
ख.						
ग.						

1. स्वामी निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा :

(क) उपाबंध 1 में विनिर्दिष्ट पशुओं की प्रजातियों की **बंदी प्रजनन** के मामले में अधिनियम की धारा 49 (ढ) और तद्धीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करना;

(ख) किसी पशु चिकित्सक द्वारा छह मास में कम से कम एक बार ऐसी प्राणी प्रजातियों की स्वास्थ्य जांच कराना और जीवित अनुसूचित प्राणी नमूना (रिपोर्ट और रजिस्ट्रीकरण) नियम ,2023 के उपबंध प्ररूप 4 में और इस प्रमाण पत्र के साथ उपाबंध में उनके स्वास्थ्य रिकार्ड रखना ;

(ग) जब भी आवश्यक हो, अधिकारिता रखने वाले किसी भी वन अधिकारी को सुविधा में प्राणी प्रजातियों और प्राणियों के संबंध में बनाए गए रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि सुविधा से प्राणी प्रजातियां बच न जाए;

IndiaCode

(ङ.) प्राणी प्रजाति के किसी भी पलायन की सूचना **अधिकारिता रखने** वाले निकटतम वन कार्यालय को तुरंत और ऐसे पलायन के चौबीस घंटे के अपश्चात् देना;

(च) ऐसे पलायन के कारण होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होगा; और

(छ) प्राणी प्रजातियों को देशी प्राणी प्रजातियों के साथ मिश्रण या प्रजनन की अनुमति न देना।

2. यह प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा, यदि पाया जाता है कि,

(क) अभिसमय के उपबंध या संकल्प का समाधान नहीं किया गया है ; या

(ख) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किन्हीं उपबंधों का पालन नहीं किया गया है; या

(ग) कोई मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की गई है ।

हस्ताक्षर और मुद्रा

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम

तारीख:

प्ररूप –IV

प्ररूप –IV **प्राणी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र** **[नियम 7 का उपनियम (1) (ख) देखें]**		
1.	स्वामी का नाम	
2.	स्वामी का पता, ई-मेल और संपर्क संख्या	
3.	प्राणी वर्णन	
क.	प्रजातियां और नस्ल	
ख.	रंग	
ग.	लिंग (नर/मादा/अलिंगी)	
घ.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या	
4.	अंतिम प्राणी निरीक्षण की तारीख	
5.	पूर्व बीमारी का सार, यदि कोई हो	
6.	टीकाकरण के ब्यौरे	
7.	**परजीवी-रोधी उपचारों का विवरण**	
8.	शारीरिक जाँच	
9	प्रयोगशाला परीक्षण के लिए रेफरल	हां/नहीं
10.	पंक्ति 9 में हाँ होने पर निर्धारित परीक्षणों की सूची	

मैं, डा.----------ने ----------(तारीख) को उपरोक्त वर्णित प्राणी की जांच की है और प्रमाणित करता हूं कि प्राणी का स्वस्थ्य/ अस्वस्थ्य है ।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर नाम और पता:

वीसीआई रजिस्ट्रीकरण सं.:

ई-मेल:

संपर्क सं.:

[फा. सं. डब्ल्यू एल-1/3/2023-डब्ल्यू एल]

सुशील कुमार अवस्थी, अपर महानिदेशक

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2024

G.S.R. 145(E).—In exercise of the powers conferred by clause (jv) of sub-section (1) of Section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Living Animal Species (Reporting and Registration) Rules, 2024.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

 (a)"Act" means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

 (b)"animal species" means any living specimens of any animal species listed in Schedule IV appended to the Act;

 (c)"Appendices" means Appendix I, Appendix II or Appendix III under Schedule IV appended to the Act;

 (d) "authorised officer" means an officer authorised under section 49M of the Act;

 (e)"facility" means any premise where animal species is housed;

 (f)"Form" means the form appended to these rules;

 (g)"transfer" means transfer of any animal species to any person, whether by way of gift, sale or otherwise;

 (h)"veterinary practitioner" means a person registered with the Veterinary Council of India established under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984).

 (2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings assigned to them in the Act.

3. **Application for registration of possession.-**(1)Every person who is in possession of any animal species shall report the details thereof and make an application for registration electronically to the Management Authority or the authorised officer in Form I within a period of six months from the date of commencement of these rules and thereafter within thirty days of possession of such animal species.

 (2)Every application form shall be accompanied with a fee of one thousand rupees.

 (3) Where the animal species was acquired prior to the commencement of the Wild Life (Protection) Amendment Act, 2022, the application shall be accompanied with a declaration in this regard and the proof of the acquisition prior to such commencement.

 (4) Where the animal species was acquired on or after the commencement of the Wild Life (Protection) Amendment Act, 2022, the application shall be accompanied with.-

 (a) copy of import licence and CITES export permit or certificate granted under the Convention in case of acquisition through import;

 (b) copy of certificate of registration where applicable.

 (5) The applications received as per sub-rule (1) shall, if found complete in all respects, be forwarded by the Management Authority or the authorised officer within a period of fifteen days to the Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area in which the facility is located

 (6) The Deputy Conservator of Forests shall, on receipt of the application under sub-rule (1), upon an inquiry and physical verification of the facility submit report in Form II within a period of thirty days to the Management Authority or the Authorised Officer, electronically.

 (7) On receipt of the report under sub-rule (2), the Management Authority or the authorised officer shall within a period of fifteen days issue a registration certificate to the applicant in Form III electronically.

4. **Application for reporting and registration of birth .-** (1) Every person who has been issued a registration certificate under sub-rule (7) of rule 3 for any animal species shall report the birth of an offspring of such animal species and apply for registration within a period of seven days of such birth to the Management Authority or the authorised officer in Form I electronically.

 (2)The application form shall be accompanied with a fee of one thousand rupees.

 (3) The applications received under sub-rule (1) shall, if found complete in all respects, be forwarded by the Management Authority or the authorised officer within a period of seven days to the Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area in which the facility is located.

(4) The Deputy Conservator of Forests shall, on receipt of the application under sub-rule (1), upon an inquiry and physical verification of the offspring submit report in Form II within a period of fifteen days to the Management Authority or the authorised officer, electronically.

(5) On receipt of the report submitted under sub-rule (4), the Management Authority or the authorised officer shall within a period of seven days issue a registration certificate to the applicant in Form III electronically.

5. **Application for reporting and registration of transfer .-**(1) If any person, who has been issued a registration certificate in respect of an animal species under sub-rule (7) of rule 3 or sub-rule (5) of rule 4, transfers such animal species shall report in Form I to the Management Authority or the authorised officer within a period of fifteen days of such transfer.

(2) The provisions of rule 3, shall, as far as may be, apply to the submission of application and the issuance of the registration certificate for possession of the animal species under this rule.

6. **Manner for reporting death of animal species .**- Every person who has been issued a registration certificate in respect of an animal species under sub-rule (7) of rule 3 or sub-rule (5) of rule 4 shall report the death of such animal species in Form I along with post mortem report issued by a veterinary practitioner .

7. **Maintenance of stock:-** (1) Every person to whom a registration certificate under these rules has been issued shall.-

(a) comply with the provisions of Section 49 N of the Act and the rules made thereunder in case of captive breeding of animal species specified under Appendix I to the Schedule IV;

(b) carry out health check-up of such animal species at least once in six months by a veterinary practitioner and maintain a record of its health in Form IV;

(c) present for inspection the animal species at the facility and the records maintained in respect of the animal accordance with sub clause (b) to the forest officer having jurisdiction over the area as and when required;

(d) ensure that the animal species does not escape from the facility;

(e) inform any escape of the animal species to the nearest forest office having jurisdiction immediately and not later than twenty -four hours of such escape;

(f) be liable for damages, if any, caused due to such an escape; and

(g) not allow the animal species to mix or breed with indigenous animal species.

8. **Rejection or cancellation of Registration Certificate.-** (1)The Management Authority or the authorised officer, shall reject any application if not found complete in all respects.

(2) The Management Authority or the authorised officer , if-

(a) the provisions or resolutions of the Convention are not satisfied; or

(b) any provisions of the Act or any rules made thereunder have not been complied with; or

(c) a false information is furnished,

may refuse after duly considering the recommendations in Form II or cancel the registration as the case may be, after providing the applicant with an opportunity of being heard.

9. **Order to be signed and dated** .- Every order of the Management Authority or the authorised officer shall be in writing and shall be signed and dated by him.

10. **Appeal .-** Any person aggrieved by the refusal of the Management Authority or the authorised officer, or cancellation of registration under rule 8 may prefer an appeal to the Central Government within a period of sixty days justifying the reasons for preferring an appeal.

11. **Dealing with scheduled specimen.-**Any animalspeciesinrespect of whicha registrationcertificatehasnot been granted or obtained shall be treatedin accordance with section 49Q of the Act.

FORM –I

FORM - I
Application for reporting and registration
[see sub-rules (1) of rules 3, 4 and 5 and rule 6]

1.	Name of the Owner (with Aadhar number)					
2.	(a) Address of the Owner					
	(b) Address of the facility in case different from (a) above					
3.	Phone Number or mobile					
4.	E-mail id					
5.	Purpose of acquisition the animal species (tick (✓) as applicable)	Pet				
		Breeding for commercial purposes				
		Research				
		Others please specify				
6.	Reason for reporting (tick (✓) as applicable)	Possession				
		Birth				
		Transfer				
		Death				
7.	Details of the animal (s)					
	Common Name	Scientific name	Numbers	Male/Female/unsexed		Photo
8.	Details of fee paid	Transaction number / D.D. no.				
		Amount paid				
9.	Mode of acquisition	Import				
		Introduction from the sea				
		Birth				
		Inheritance				
		Purchase				
		Others please specify				
10.	Date of acquisition					
11.	In case of acquisition by import	DGFT import licence number				
		CITES Export Permit or certificate number				
12.	Certificate number in case of acquisition by introduction from the sea					
13.	Registration certificate number for parent animal species in case of birth					
14.	In case of acquisition by transfer					
a.	Registration certificate number allotted to the transferor					
b.	Name and address of the transferor					

IndiaCode

c.	Name and address of the transferee	
15.	In case of death	Allotted registration certificate number for animal species: Reason for death: Where and how disposed:
16.	Remarks	

Documents to be attached:

(a) Address proof of the applicant

(b) Proof of acquisition

(c) Copy of import licence and CITES export permit or certificate in case of acquisition through import

(d) Copy of the certificate in case of introduction from the sea

(e) In case of death, attach post mortem certificate issued by a Veterinary practitioner

Date: Name and Signature of the applicant

Place:

FORM-II

FORM-II

Report of the Deputy Conservator of Forests
[See sub-rule (6) of rule 3 and sub-rule (4) of rule 4]

1.	Name of Owner					
2.	(a) Address of the Owner					
	(b) Address of the facility in case different from (a) above					
3.	Purpose of reporting	Possession: Birth: Transfer: Death:				
4.	Details of the Species					
	Common Name	Scientific name	Numbers	Male/Female/unsexed	Date of possession/ birth/transfer	Photo
a.						
b.						
c.						
5.	Location of nearest quarantine facility					
6.	Location of nearest Veterinary care facilities					
7.	Availability of nursery for hand-rearing of animal young ones			Yes/No		
8.	Availability of functional fire safety equipment			Yes/No		
9.	Presence of railway line, highways, industries (small scale, medium scale. large scale) within 100 meters radius of the facility					
10.	Presence of Protected Areas/Zoos/Rescue Centres within 100 meters radius of the facility					
11.	Name and designation of the forest officer inspecting the facility					

IndiaCode

12.	Date of inspection	
13.	Any other information	
14.	Recommendation of the Divisional Forest Officers/District Forest Officer/Wild Life Warden	

Documents to be attached: Inspection report of the inspecting officer.

Signature and Seal:

Date: Name and designation of the authorised signatory:

FORM-III

FORM-III
Registration certificate
[See sub-rule (7) of rule 3 and sub-rule (5) of rule 4]

Registration Certificate number:

1.	Name of Owner					
2.	(a) Address of the Owner					
	(b) Address of the facility in case different from (a) above					
3.	Details of the animal (s)					
	Common Name	Scientific name	Numbers	Male/Female/unsexed	Date of possession/ birth/transfer	Photo
a.						
b.						
c.						

IndiaCode

1. The owner shall abide by the following conditions:
 (a) comply with the provisions contained in Section 49 N of the Act and rules made thereunder in case of captive breeding of Appendix I species of animals;
 (b) carry out health check-up of such animal species at least once in six months by a veterinary practitioner and maintain a record of its health in Form IV appended to Living Scheduled Animal Specimens(Reporting and Registration) Rules, 2023and annexed with this certificate;
 (c) present for inspection the animal species at the facility and the records maintained in respect of the animal to any forest officer having jurisdiction over the area as and when required;
 (d) ensure that the animal species does not escape from the facility;
 (e) inform any escape of the animal species to the nearest forest office having jurisdiction immediately and not later than twenty-four hours of such escape;
 (f) be liable for damages, if any caused due to such an escape; and
 (g) not allow the animal species to mix or breed with indigenous animal species.
2. This certificate is liable for cancellation, if it is found that,
 (a) the provisions or resolutions of the Convention are not satisfied; or
 (b) any provisions of the Wild Life (Protection) Act, 1972 or any rules made thereunder have not been complied with; or
 (c) a false information is furnished.

Signature and Seal:

Date: Name and designation of the authorised signatory:

FORM-IV

FORM-IV Veterinary Health Certificate [sub-rule (1) (b) of Rule 7]		
1.	Name of the Owner	
2.	Address, E mail and Contact number of Owner	
3.	Animal Description	
a.	Species and Breed	
b.	Colour	
c.	Sex (Male/Female/Unsexed)	
d.	Registration certificate number	
4.	Date of last veterinary check-up	
5.	Summary of previous disease, if any	
6.	Details of immunization	
7.	Details of anti-parasitic treatments	
8.	Physical examination	
9.	Referral to laboratory tests:	Yes/ No.
10.	List of prescribed tests in case of Yes in row 9.	

I, Dr……., examined the above described animal on (date)…… and certify that the animal is sound/ unsound in health.

Place:
Date:

Signature:
Name & Address:
VCI Registration No.
Email:
Contact No:

[F. No. WL-1/3/2023-WL]

SUSHIL KUMAR AWASTHI, Addl. Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.02.29 22:41:48 +05'30'